प्रपत्र–2

कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/सी/मान्यता/आरटीई/2012/1252 दिनांक– 28-11-12

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्रबंध समिति,

[illegible]

105
1126096

विषय– नियम 8–क के उप –नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनाक 21|9|11 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार /निरीक्षण के संदर्भ में मै [illegible] (विद्यालय का नाम और पता) को ______ से ______ तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अध्यधीन होगी:–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता /सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय ,कक्षा–1 मे या ,यथास्थिति ,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र–संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. सीट 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धो के अनुसरण मे प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी /विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नही बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव मे किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चत करेगा कि:–
   (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा मे रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
   (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा,
   (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
   (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
   (E) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये,
   (F) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाये,परन्तु वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर

न्यूनतम अर्हताए नहीं रखते है,वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधो के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे.

(ग) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है और

(घ) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलाप मे नही लगायेंगे।

7 विद्यालय,समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8 विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 मे यथा विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र ..... (2)कुल निर्मित क्षेत्र .....

(3) खेल कूद के मैदान का क्षेत्र ..... (4) कक्षा के कमरों की संख्या 11

(5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष 1 + 1

(6) लडके और लडकियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर उपलब्ध है

(7) पीने के पानी की सुविधा पर्याप्त (8) मिड डे मील पकाने के लिए रसोईघर नहीं

(9)अवरोध निशुल्क सामग्री / खेल कूद उपस्कर / पुस्तकालय की उपलब्धता .....

9 विद्यालय पैरिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलायी जायेंगी।

10 विद्यालय भवन या अन्य सरचनाए या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिए जायेंगे।

11 विद्यालय,सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम स.21),राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम स.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12 विद्यालय किसी व्यक्ति ,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।

13 किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या LHR-101 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उल्लेखित किया जाये।

15 विद्यालय ,ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक ,प्रारंभि शिक्षा / जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण मे त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।

16 सोसाइटी के नवीनीकरण का सत्यापन ,यदि कोई हो सुनिश्चित करें।

17 अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

R.T.E. के समस्त मापदण्ड 31मार्च 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा ,सीकर